

असहयोग आन्दोलन में संयुक्त प्रान्त में महिलाओं की भूमिका

अतुल कुमार¹

¹शोधार्थी, प्राचीन इतिहास विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, उ०प्र० भारत

ABSTRACT

“गांधी के असहयोग आंदोलन ने महिलाओं के सार्वजनिक कार्यों को वैध बनाया तथा उनका वर्ग और सांस्कृतिक परिधि से बाहर एक व्यापक दायरा उनका बनाया। इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, गाजीपुर अलीगढ़ जैसे शहरों में राष्ट्रवादी प्रदर्शनों के माध्यम से खुलेआम भाग लेकर और गिरफ्तारी देकर सम्मानित परिवारों की सैकड़ों स्त्रियों ने अपने रूढ़िवादी पुरुष स्वजनों को स्तब्ध कर दिया, गांधी को उनकी शारीरिक सुरक्षा और मर्यादा की चिंता थी। पर उन्होंने महिलाओं के इस कदम का अनुमोदन किया, क्योंकि इसका एक असीमित प्रदर्शन-प्रभाव था। इसके अलावा आंदोलन के वजह से महिला-पुरुष समानता की बात होने लगी। अब महिलायें यह विचार व्यक्त करने लगी कि स्त्रियाँ अगर आजाद होना चाहती हैं तो उन्हें पुरुषों के साथ संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। दोनों लिंगों में बराबरी की जहाँ तक बात है, यह स्वयं समानता के सिद्धान्त पर आधारित है न कि किसी की दया पर। इसके अलावा कई मध्यवर्गीय महिलाएं शिक्षा पाकर पत्रिकाओं की सम्पादिका और स्कूल-कॉलेजों में शिक्षिकाएं बनकर उभरी। कुछ महिलायें अपने जाति संगठनों के जरिए भी अपने हितों के बारे में ज्यादा जागरूक हो रही थी और अपनी गतिविधियों का दायरा बढ़ा रही थी। शहरों में असहयोग आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के अलावा बाबा रामचन्द्र के नेतृत्व में अवध के किसान आंदोलन में ग्रामीण महिलाएं सामने आ रही थी। परम्परागत लैंगिक विभाजनों और सीमाओं की संकीर्णता को कुछ हद तक चुनौती मिल रही थी।” प्रस्तुत शोधपत्र में यह जानने का प्रयास किया गया है कि असहयोग आंदोलन में संयुक्त प्रान्त की महिलाओं की क्या भूमिका थी? क्या वह गांधी की नीतियों से प्रभावित थी।

KEY WORDS: भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन, असहयोग आन्दोलन, संयुक्त प्रान्त,

उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में हर दृष्टिकोण से महिलाओं की स्थिति पराश्रित जैसी थी। व्यावहारिक रूप से उन्हें द्वितीय श्रेणी का मानक कहा गया। तत्कालीन शताब्दी में पाश्चात्य प्रभाव से आई नवजागरण की लहर ने पुरातन व्यवस्था में एक हलचल उत्पन्न कर दिया भारत में। प्रत्येक देश व समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए वैचारिक व मानसिक परिवर्तन अनिवार्य है। अज्ञानता, अशिक्षा व धर्म ऐसे तत्व हैं, जिसके द्वारा मनुष्य मानसिक गुलाम बना रहता है। भारत में वैसे-वैसे शिक्षा का प्रसार होता गया। वहीं सड़क, यातायात, रेल-व्यवस्था, दूरसंचार आदि ने लोगों की मानसिकता का मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार से विस्तार किया वैसे-वैसे इससे भारतीयों की जागरूकता में वृद्धि हुई। वाहा संस्कृतियों के सम्पर्क ने भी भारतीय मानसिकता को नये विचारों एवं धारणाओं की खुराक दी जिनसे लोगों के जीवन स्तर में व्यापक परिवर्तन हुए। परन्तु कुल मिलाकर प्रभाव बाहरी स्तर पर ही अधिक दिखता है, मानसिक स्तर पर परिवर्तन की दर बहुत धीमी रही। इन परिवर्तनों में तीव्रता बीसवीं शताब्दी के पूर्वान्ध में विशेष रूप से देखी जा सकती है जब महात्मा गाँधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश होता है।

गाँधी ने जनता को प्रभावित-प्रेरित किया और जनसहयोग जुटाया। गाँधी ने आदर्श भारतीय नारी की धारणा प्रस्तुत करते हुए स्त्रियों की यौन-वृत्ति को नकारकर मातृत्व की बजाय बहनत्व को ध्यान का केन्द्र बनाया। महिलाओं के लिए उनका आवाहन रूपकों से भरी एक भाषा में था, जो स्त्रीत्व सम्बंधी परंपरागत जीवन-मूल्यों के विध्वंसक तो नहीं ही लगती थी। सीता दमयंती, और द्रौपदी उनकी राय में भारतीय स्त्रियों के लिए आदर्श पात्र थी। भारतीय पुराण ग्रन्थों से उन्होंने जाने के बावजूद इन प्रतीकों की पुर्वरचना करके उनको नए अर्थ दिये। इन स्त्रियों को वे अपने पतियों की दासियां न बनाकर अत्यंत-पुण्यात्माएं और अपने परिवार, राज्य और समाज के लिए सर्वोच्च बलिदान दे सकने में समर्थ कहा। उन्होंने उस चीज को स्वीकार किया। जिसे वे

स्त्री-पुरुष के बीच “स्वाभाविक श्रम-विभाजन” कहते थे और समझते थे कि घर-बार देखना स्त्रियों का कर्तव्य है। लेकिन वे अपने लिए निर्दिष्ट क्षेत्रों से भी कटाई करके, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर धरने देकर और पुरुषों को शर्म दिलाकर कर्म के लिए तैयार करके राष्ट्र की सेवा कर सकती थी। उनकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष बराबर थे, पर उनकी भूमिकाएं अलग-अलग थी। उनका मानना था कि सत्य और अहिंसा के माध्यम से महिलाएं मानव विकास में उचित स्थान प्राप्त कर लेगीं, तब उनके अन्दर से हीन भावना समाप्त हो जायेगी और आवाज को प्रतिनिधित्व कर हमारे शक्ति को गांधी मजबूत कर सकते हैं। गांधी ने महिलाओं को आवाहन किया कि वे कांग्रेस के कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर स्वराज प्राप्ति हेतु सहायता दे। उन्होंने असहयोग आंदोलन में महिलाओं को भी शामिल करने का निश्चय किया और उनके संघर्ष को राष्ट्रीय संघर्ष के साथ जोड़ दिया।

प्रथम विश्वयुद्ध के बाद देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गयी थी। जनसामान्य आक्रोशित हो रहा था, इसी समय तीन ऐसी घटनाएं हुईं, जिन्होंने असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि को तैयार किया। ये घटनाएं थी- खिलाफत की समस्या जलियाँवाला बाग हत्याकांड और 1919 के संवैधानिक कानून की खामियां थी। इन्हीं सब वजहों से कांग्रेस और सरकार के बीच की दूरी बढ़ती गयी। अब इनके मध्य समझौता होना असम्भव सा हो गया, जिस प्रकार सरकार ने जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड पर लीपा-पोती की और 1919 का संवैधानिक सुधार भारत की गुलामी की दीर्घ करने वालो सुदृढ़ बनाने वाला था। ऐसी परिस्थिति में अंग्रेजी सरकार से भारतीयों का विश्वास समाप्त होता गया। इन तीनों अन्याय परिष्कार के उपाय हेतु गांधी ने असहयोग का प्रस्ताव कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसका अनुमोदन कांग्रेस की कार्य समिति ने जून 1920 में किया था। इसी बैठक में यह तय किया गया कि सम्पूर्ण भारत में असहयोग आंदोलन प्रारम्भ किया जायेगा। अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की औपचारिक घोषणा भी कर दी गयी। गांधी ने असहयोग

कार्यक्रम में चार चरण निर्धारित किये, उपाधियों और अवैतनिक पद से त्यागपत्र देना, सरकारी-प्रशासनिक पदों को त्यागना, सेना और पुलिस के पद से त्यागपत्र देना तथा कर देने से इन्कार करना। गांधी ने वैचारिक और संगठनात्मक दोनों स्तरों पर कमान सम्भाल ली। आंदोलन के प्रारम्भिक अवस्था में ही गांधी ने देशव्यापी भ्रमण के दौरान जनता को सम्बोधित किया और कहा कि यदि असहयोग सफल करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अनुशासन सीखना होगा।

असहयोग आंदोलन के दौरान पहली बार संयुक्त प्रान्त में भारी संख्या में महिलायें आंदोलन से जुड़ने लगी, बैठकों एवं प्रभात फेरियों में भाग लेने लगी एवं चरखा और खादी के प्रचार-प्रसार के लिए बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों को छोड़कर जुलूसों में भाग लेकर गिरफ्तारियां भी देने लगी। यह महिलायें शान्तिपूर्ण तरीके से स्वराज्य प्राप्त करने के लिए गांधी के आवहान पर कांग्रेस में सम्मिलित होती गयीं।

इस आंदोलन के समय संयुक्त प्रान्त में इलाहाबाद, लखनऊ, नैनीताल और अल्मोड़ा का पर्वतीय क्षेत्र अधिक सक्रिय थे। पर्वतीय अंचल में विशनी देवी के नेतृत्व में महिला सत्याग्रही टोली ने गिरफ्तारी दी। लखनऊ तो विद्रोह का एक मुख्य केन्द्र था। वहां धारा 144 के अन्तर्गत शस्त्र लेकर चलने व भीड़ जमा करने पर रोक थी। फिर भी आंदोलन के समय बेगम अब्दुल कादिर की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यालय में एक मीटिंग हुई, जिसमें महिलाओं को कानून की अवहेलना करके आंदोलन में भाग लेने के लिए निर्देश दिया गया। नारी समाज के लिए चुनौती को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि जो आंदोलन चल रहा है उसमें यदि भारत के पुरुष अपना साहस खो देंगे तो हम महिलाएं कार्य को आगे बढ़ायेगी। क्या भारत माता की जेले केवल पुरुषों के लिए हैं? आंदोलन के दौरान कांग्रेस के बहुत से सदस्य गिरफ्तार कर लिये गये थे। अतः स्वरूपरानी, कमला नेहरू, उमा नेहरू, ऐच्छिक रूप से प्रान्तीय कमेटी की सदस्य चुनी गयी, साथ ही स्वरूपरानी उपाध्यक्ष भी निर्वाचित हुईं। श्याम कुमारी नेहरू व उनकी टोली ने इन्हीं दिनों जब्त किए गए, 'स्वराज्य पत्र' की हस्तलिखित गुप्त प्रतियाँ तैयार करने और उन्हें वितरित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। वही सुभद्रा कुमारी चौहान ने अनेक प्रेरणादायक कविताएँ लिखी। उन्होंने "शखी का लाज" और "जलियोंवाला बाग में बसन्त" नामक कविताएँ लिखी। जबकि मेरठ की पार्वती देवी को असहयोग के सम्बन्ध में उत्तेजक भाषण देने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने अदालत में जो बयान दिए उसमें भारतीय महिलाओं के नाम संदेश इस प्रकार था—

"भारतवर्ष की देवियों मुझे बड़े विनय के साथ कहना है कि प्रत्येक जाति का भाग्य वस्तुतः उसकी स्त्रियों पर निर्भर होता है। जब तक भारतवर्ष की प्रत्येक पुत्री के हृदय में मातृभूमि के लिए वैसी ही लगन न हो, जब तक कि उसके हृदय में भारत माता की दुःख, दुर्भाग्य, दीनता और दासता वैसी ही न चुभें जैसे कि महात्मा गांधी को चुभती है, तब तक स्वाधीनता का दिन बहुत दूर है। इसलिए मेरी बहनों हमारे ऊपर बड़े कर्तव्य और उत्तरदायित्व का भार है। आओ हमसब में से प्रत्येक जो सच्ची स्त्री होने का दावा करती है, उस भार को उठाने, धीरज और सन्तोष के साथ कष्टों को झेलने के लिए तैयार हो जायें और अपना कार्य करती हुयी मातृभूमि की स्वाधीनता के निकट पहुंच जायें"। दिसम्बर 1922 को मजिस्ट्रेट ने 124 'अ' और 153 'अ' धाराओं के अंतर्गत पार्वती देवी को दो वर्ष का कठोर कारावास का दण्ड दिया।

इसके अलावा अलीगढ़ की ख्वाजा बेगम, कानपुर की साधना, गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल की बहन सन्नो, फैजाबाद की कमलावती चौरसिया, रामकल उन्नाव की निशात बेगम, गाजीपुर की यशोदा त्रिपाठी, महारानी दूबे इत्यादि महिलाओं ने आंदोलन में भाग लिया।

हालांकि इस आंदोलन में उच्च वर्ग के अधिकांश महिलाओं की दिलचस्पी केवल अपने विदेशी कपड़ों को जलाने तक ही थी लेकिन राष्ट्रवादी भावनाओं से ओत-प्रोत महिलाओं की संख्या विशाल थी, ये बात और है कि 'कम पढी लिखी' थी। इसके अलावा उनकी सहभागिता के स्वरूप पर भी पाबंदियाँ थी। सैकड़ों की संख्या में महिलायें हाथ में खादी तथा चरखा थामें अपने घरों से निकली तथा उन्होंने गली-गली घूमकर खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए जुलूस निकाला। इन जुलूसों में ये महिलाएं फैशन का मजाक उड़ाने वाली गीत गाती और जहां भी लोग एकत्र होते वहीं विदेशी कपड़ों की होली जलाती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस दौरान न तो शराब की कोई दुकान लूटी और न ही अपनी गिरफ्तारी दी।

गांधी के असहयोग आंदोलन ने महिलाओं के सार्वजनिक कार्यों को वैध बनाया तथा उनका वर्ग और सांस्कृतिक परिधि से बाहर एक व्यापक दायरा उनका बनाया। इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, गाजीपुर अलीगढ़ जैसे शहरों में राष्ट्रवादी प्रदर्शनों के माध्यम से खुलेआम भाग लेकर और गिरफ्तारी देकर सम्मानित परिवारों की सैकड़ों स्त्रियों ने अपने रुढ़िवादी पुरुष स्वजनों को स्तब्ध कर दिया गांधी को उनकी शारीरिक सुरक्षा और मर्यादा की चिंता थी। पर उन्होंने महिलाओं के इस कदम का अनुमोदन किया, क्योंकि इसका एक असीमित प्रदर्शन-प्रभाव था। इसके अलावा आंदोलन के वजह से महिला-पुरुष समानता की बात होने लगी। अब महिलायें यह विचार व्यक्त करने लगी कि स्त्रियाँ अगर आजाद होना चाहती हैं तो उन्हें पुरुषों के साथ संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। दोनों लिंगों में बराबरी की जहां तक बात है, यह स्वयं समानता के सिद्धान्त पर आधारित है न कि किसी की दया पर। इसके अलावा कई मध्यवर्गीय महिलाएं शिक्षा पाकर पत्रिकाओं की सम्पादिका और स्कूल-कॉलेजों में शिक्षिकाएं बनकर उभरी। कुछ महिलायें अपने जाति संगठनों के जरिए भी अपने हितों के बारे में ज्यादा जागरूक हो रही थी और अपनी गतिविधियों का दायरा बढ़ा रही थी। शहरों में असहयोग आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के अलावा बाबा रामचन्द्र के नेतृत्व में अवध के किसान आंदोलन में ग्रामीण महिलाएं सामने आ रही थी। परम्परागत लैंगिक विभाजनों और सीमाओं की संकीर्णता को कुछ हद तक चुनौती मिल रही थी।

REFERENCES

- बमफोर्ड, जी.सी. (1925), *हिस्ट्री ऑफ दि नान क्वापरेशन एण्ड खिलाफत मूवमेंट* दिल्ली, गर्वनमेंट ऑफ इंडिया, प्रेस पृ0 158
- कल्हण प्रमिला, (1974), *कमला नेहरू* पृ0 35, नई दिल्ली, विकास पब्लिशिंग हाउस
- किश्वर, मधु (1985) : गांधी आन वोमेन, *इकांनमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली*, 5 अक्टू 2019 ;40
- द लीडर, 16 दिसम्बर 1921
- वाँद, जनवरी 1923
- अमृत बाजार पत्रिका 13 मई 1922